INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

FIVE HUNDRED RUPEES

कादीपुर-सुलतानपुर

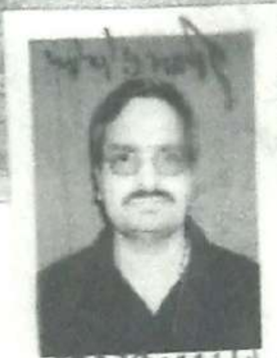

४८८ ०१७

व्यास का नाम : शिव शक्ति ट्रस्ट

प्रधान कार्यालय : ग्राम व पोस्ट पलिया गोलपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर

मैं कि नीलेश पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर ग्राम व पो0 पलिया गोलपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर जो आज 19 जून 2006 दिन सोमवार को निष्पादित शिव शक्ति ट्रस्ट न्यास तथा न्यासीगण की नियुक्ति की घोषणा प्रपत्र का साक्षी है। यह न्यास सुलतानपुर तथा अन्य जनपदों में शिक्षा तथा धर्म व संस्कृति के विकास के लिए कार्य करेगी। न्यास की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि न्यास भविष्य में शिक्षा व संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगी। इसके लिए नीलेश को न्यास की घोषणा का दायितव दिया जाता है तदनुसार इस कार्य को पूर्ण करने का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ।

यह कि नीलेश पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर, ग्राम व पो0 पलिया गोलपुर तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर का निवासी है तथा योजनानुसार शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए उच्च कोटि की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्तर से महाविद्यालय स्तर तक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जायेगी।

ट्रस्ट के निर्माण के लिए ट्रस्ट प्रबन्धक नीलेश सिंह ने ट्रस्ट की परिसम्पत्ति के रूप में रूपया 10,000.00 (दस हजार रूपये) नकद बैंक शाखा सेन्ट्रल बैंक कादीपुर में ट्रस्ट के नाम जमा कर दूंगा। यह परिसम्पत्ति जो शिवशक्ति ट्रस्ट के नाम से है तथा ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य इसके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के संचालन तथा प्रबन्धन के प्रयोजनार्थ निहित रहेगा। इसके अतिरिक्त यह ट्रस्ट भारतीय धर्म तथा संस्कृति मूल्यों की रक्षा, शिक्षा के विकास तथा इसके निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक वित्तीय व भौतिक संसाधन भी जुटायेगा।

Nilesh
MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur - Sultanpur (U.P.)

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

Nilesh Priyanka Indira Singh सावित्री सिंह

पालिका ग्राम कुट (त कादीपुर
सुल्तानपुर

19.06.2008

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur - Sultanpur (U.P.)

मंगल
स्टाम्प विक्रेता
कादीपुर, सुल्तानपुर
ला० नं० - 16/E

सु० रजिस्ट्री सु० ... ...

200, 20: 220 ...

100...

श्री नीलेश पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर
पेशा व्यापार निवासी पलिया गोलपुर
परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर जिला
सुलतानपुर ने यह लेख पत्र आज दिनांक 19.06.06
को मध्य 2.13 बजे दिन कार्यालय
सब रजिस्ट्रार कादीपुर सुलतानपुर में प्रस्तुत
किया।

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

स० र०
19.06

Neelesh

यह लेख पत्र निष्पादन करना तथा रुपया ... की पूर्व प्राप्ति व ... श्री नरेन्द्र बहादुर व श्रीमती प्रियंका
प्राप्त ... श्री नीलेश पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर व श्रीमती सावित्री सिंह
पत्नी श्री नीलेश
तथा लेख पत्र के विक्रेता ने ... नि० ग्राम व पोस्ट
पत्नी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ... व श्रीमती इन्दिरा सिंह
पलिया गोलपुर तह० कादीपुर व श्रीमती ...
पत्नी श्री बृज कुमार सिंह नि० कादीपुर (जवाहर नगर)
ने निष्पादन करना स्वीकार किया
जिनकी पहचान श्री बृज कुमार सिंह एडू० कादीपुर
पुत्र ... निवासी ... जिला
... इन्द्रमणि सिंह
... बैजापुर
पुत्र श्री जैसराज सिंह ... जिला बस्ती
हरैया
सुलतानपुर ने की।

स० र०
19.06.06

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

५०रू.

शिवशक्ति ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगा, न्यास के उद्देश्य एवं प्रयोजन

1. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जानकारी लोगों तक पहुचाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
2. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार संगो-ठी, सेमिनार प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, साहित्यिक वैज्ञानिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
4. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षाणिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, सतत् शिक्षा आदि का निशुल्क संचालन करना।
5. बालक-बालिकाओं के शैक्षिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना।
6. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े तबकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग देना।
7. शिक्षा की आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के लिए समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना।
8. शिक्षा के विकास हेतु प्राइमरी से लेकर उच्चशिक्षा तक की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं निःशुल्क संचालन करना।
9. ज्ञानार्जन हितार्थ वाचनालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना एवं निशुल्क संचालन करना।
10. छात्रों-छात्राओं के लिए छात्रावास आदि की व्यवस्था करना।
11. समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे छूआ-छूत, अंधविश्वास, आदि का शिक्षा के माध्यम से दूर करने का प्रयास करना।
12. बालक-बालिकाओं के लिए संगीत कला, हस्तकला, शिल्पकला कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
13. कमजोर, विकलांगों तथा निर्बल वर्ग के बालक-बलिकाओं के लिए विशेष शिल्प कला, चित्रकला,सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वे स्वावलम्बी

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur - Sultanpur (U.P.)
Nilesh

Priyanka Indira Singh सावित्री सिंह

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur - Sultanpur (U.P.)

मंजूर
स्टाम्प विक्रेता
सुल्तानपुर
ला० नं०- 16/K

Nilesh

Priyanka

सावित्री सिंह

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

Indira Singh

ब्रजकुमारी

चिन्ह किया पूर्वक

बन सके।

14. शिक्षा के माध्यम से समाज में बढ़ रही प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या व अन्य कुरीतियों को दूर करने हेतु जागरूकता पैदा करना तथा वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम चलाना।

15. बालक-बालिकाओं में देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का विकास करना तथा उन्हें आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास करना।

16 अपने उक्त उद्देश्यों का समाज में तथा सामान्य समाज के लोगों में व्यापक रूप से प्रचारित व प्रसारित करना।

17 अपने उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु चल अचल सम्पत्ति का उपार्जन करना उसकी देखरेख व सुरक्षा हेतु अनिवार्य सामग्री को प्राप्त करना उसका प्रयोग व उपयोग करना।

18 ऐसे सभी कार्य करना जो इन सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक तथा सहायक है। ऐसे धन सम्पत्ति भूमि भवन विभिन्न वस्तुए और कीमती पदार्थ तथा उनके अधिकार इत्यादि अर्जित करना धारण करना उनको सुरक्षित रखना, विनिधान करना इत्यादि ऐसे सभी कार्य करना जो व्यवहार जगत में उपर्युक्त उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

19. और ऐसे सभी कार्य इत्यादि करना जो इन सभी उद्देश्यो और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक अथवा सहायक हो, उदाहरणार्थ धन-सम्पत्ति, भूमि-भवन, विभिन्न वस्तुएं और कीमती पदार्थ तथा उनमें अधिकार इत्यादि अर्जित करना, धारण करना, उनको सुरक्षित रखना, विनिधान करना, ब्याज पर लगाना, कर्ज देना या लेना, दान लेना या देना इत्यादि ऐसे सभी कार्य करना जो व्यवहार जगत में उपर्युक्त उददेश्यों और प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

20. मैं नीलेश पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर आयु लागभग 30 वर्ष, ग्राम व पो0 पलिया गोलपुर तह0 कादीपुर जिला सुलतानपुर 'शिव शक्ति ट्रस्ट' का प्रथम न्यासी रहूंगा, तथा ट्रस्ट में ट्रस्ट प्रबन्धक पदनाम ग्रहण करूंगा। इस ट्रस्ट में ट्रस्ट प्रबन्धक पद पर मैं तब तक रहूंगा जब तक तक रोग अथवा मृत्यु से इसके कार्य निर्वाह में असमर्थ न हो जाँऊ। निम्नलिखित वे अन्य है जो इस प्रपत्र द्वारा उन्हें शिवशक्ति ट्रस्ट का स्थायी सदस्य घोषित एवं नियुक्त किया जाता है।

3---

Nilesh
MANAGER Nilesh
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur - Sultanpur (U.P.)

Priyanka Indira Singh

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur Sultanpur (U.P.)
सावित्री सिंह

और यह तब तक न्यासी रहेंगे जब तक कि रोग अथवा मृत्यु से इसके कार्य निर्वाह में असमर्थ न हो जायें, अर्थात

21 श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री नीलेश ग्राम व पो0 पलिया गोलपुर तह0 कादीपुर जिला सुलतानपुर आयु लगभग 26 वर्ष शिवशक्ति ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष।

22 सावित्री सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम व पो0 पलिया गोलपुर तह0 कादीपुर जिला सुलतानपुर आयु लगभग 50 वर्ष शिवशक्ति ट्रस्ट की रूप में कार्य करेंगी।

23 श्रीमती इन्दिरा सिंह पत्नी श्री वृज कुमार सिंह ग्राम व पो0 व तह0 कादीपुर जिला सुलतानपुर आयु लगभग 46 वर्ष ट्रस्ट के शिवशक्ति ट्रस्ट की सदस्य के रूप में कार्य करेंगी।

24 मैं नीलेश 'शिव शक्ति ट्रस्ट' का प्रमुख एवं प्रबन्धक रहूंगा तथा श्रीमती प्रियंका सिंह कोषाध्यक्ष रहेंगी। प्रमुख एव प्रबन्धक न्यासीगण के अनुशासन एवं निर्देशन के अनुसार न्यास की देखभाल करेंगे।

मैं नीलेश 'शिव शक्ति ट्रस्ट' का प्रमुख एवं प्रबन्धक किसी भी स्थायी न्यासी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति प्रत्येक के स्थान पर उन्हीं की प्रकार के उपयुक्तियों को मनोनीत एवं नियुक्त करुंगा इस प्रकार भविष्य में जो न्यासी नियुक्त किए जायेंगे वे अपने पद पर साधारणतया 5 वर्ष तक आसीन रहेंगे परन्तु पुनः नियुक्ति के पात्र हो सकेंगें।

प्रमुख न्यासी द्वारा मनोनीत सदस्यों के आधार पर न्यास का गठन होगा, जिनमे प्रमुख एव्र प्रबन्धक एक, कोषाध्यक्ष एक तथा 2 न्यास सदस्यों सहित कुल संख्या 4 होगी, ।

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट बोर्ड, न्यास का वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा न्यास के विकास हेतु दान अनुदान आदि प्राप्त करेगा।

न्यास के निहित उद्ददेश्यों की पूर्ति हेतु गतिविधियों, संस्थाओं के सुचारु संचालन के लिये पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें।

25. न्यास प्रमुख/प्रबन्धक न्यास बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता, बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।, कार्यालयी प्रबन्ध व बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करने का

Nielesh Priyanka Indira Singh सावित्री सिंह

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-- Sultanpur (U.P.)

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

५०रू. भारत INDIA सत्यमेव जयते FIFTY RUPEES 50RS

उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा साथ ही निर्णयों को कार्यान्वित तथा अन्य संस्थाओं/एंजेसियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों लेखों-विलेखों पर हस्ताक्षर करेगा। प्रबन्धक न्यास के वित्तीय मामलों में निर्णय लेने,पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करने तथा न्यास की चल-अचल सम्पत्ति की देखरेख एवं सुरक्षा का दायित्व सम्भालेगा। कोषाध्यक्ष प्रबन्धक के आदेशानुसार न्यास के आय-व्यय का लेखा जोखा रखेगा तथा प्रमुख एवं प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करेगा।

26. न्यास का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण न्यास प्रमुख एवं प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

27. किसी न्यासी अथवा न्यासीगण के पद के रिक्त होने के कारण न्यासीगण का कोई भी कार्य अवैध नहीं समझा जायेगा। न्यास के दिन प्रतिदिन के कार्य का प्रबन्ध एवं संचालन में प्रमुख एवं प्रबन्धक के निर्देशन के अनुसार किया जायेगा।

28. न्यास की निधि की अभिरक्षा एवं सुरक्षा तथा विनिधान का उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा। न्यासीगण की बैठक प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार अथवा ऐसे अवसर या अवसरों पर जैसा कि वे नियत करें अवश्य होगी।

29. अपने कार्य सम्पादन की प्रणाली तथा आपस में अपने दायित्वों तथा अधिकारों का प्रत्यायोजन न्यासीगण स्वयं निश्चित करेंगे। साधारणतया न्यासीगण अपने निर्णय ऐसे बैठकों में करेंगे जिनके समय और स्थान तथा कार्य सूची की सम्यक सूचना दी जा चुकी हो।

यह कि इस टस्ट्र की सभी उपरोक्त 1 से 29 तक की सभी धाराएं मेरे संज्ञान में सही हैं।

स्वयं पेश किया।

Nilesh
Drafted by Self
19-6-06

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

Nilesh

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-- Sultanpur (U.P.)

Priyanka Indira Singh. सावित्री सिंह

गवाह - 1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]
स्टाम्प विक्रेता
कादीपुर, सुलतानपुर
ला० नं०– 16/[illegible]

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur - Sultanpur (U.P.)

आज दिनांक 19/6/06 को बही संख्या 1 जिल्द
संख्या प्रति पुस्तक संख्या 9 के पृष्ठ 35/1-44
क्रम संख्या 6 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
[illegible]
19/6/06

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

13. विद्यालय के लेखाओं के की किसी चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **PT07G** है।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. विभाग द्वारा दिये जाने वाले यू–डायस प्रपत्र पर सूचना भरकर समयान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
18. उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
19. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम मान्यता का वर्ष विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (लोगो) सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा अधिकतम 02 वर्ष में रंगाई–पुताई करना भी अनिवार्य है।
20. विद्यालय का निरीक्षण सरकारी, स्थानीय अथवा उच्च शिक्षाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
21. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वांछित सूचनाओं का दिया जाना भी अनिवार्य होगा।
22. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है।
23. विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा तथा अनुदान स्वीकृति का दावा नहीं करेगा।
24. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के विना न तो कोई अनुभाग खोला जायेगा और न ही बन्द अथवा स्थानान्तरित किया जायेगा।
25. गुणवत्ता के निर्धारित अधिगम स्तर को प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
26. कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक शिक्षणकार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा।

23-03-2020

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर

पृ०सं०: पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ०प्र० निशातगंज लखनऊ ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।
3. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
4. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि०क्षे०–दोस्तपुर, सुलतानपुर।
6. गार्ड फाइल/पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि पत्रावली तथा आदेश अपनी अभिरक्षा में संरक्षित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHO
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.